1.6.11 प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें –

1.6.11.1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.3 "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.4 बिन्दु 1.6.11 .1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी । बिन्दु 1.6.11.1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.6.1 से 1.6.9 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1.6.12 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूटें, गृह (पुलिस), वन, आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। तदनुसार इस परीक्षा हेतु राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी । अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **सेवारत महिला आवेदकों** की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए के लिए 36 वर्ष ही रहेगी।

1.6.13 **अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी।** इस चयन परीक्षा के लिये मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2017 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये :–

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	28 वर्ष
2	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा / अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	33 वर्ष
3	पुरूष	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/ मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
4.	महिला	अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी	28 वर्ष
5	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिवर्ग) की अभ्यर्थी	33 वर्ष
6	महिला	सभी श्रेणी की शासकीय/निगम/ मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी /नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
7	महिला	अनारक्षित श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा अभ्यर्थी	33 वर्ष
8	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिव) की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा	38 वर्ष
9	पुरूष/महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	30 वर्ष
10	पुरूष/महिला	आरक्षित वर्ग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	35 वर्ष
11	पुरूष/ महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं अर्न्तजातीय विवाह	33 वर्ष
	पुरूष/ महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं विक्रम पुरुष्कार विजेता	33 वर्ष
12	पुरूष/ महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिवर्ग) एवं विक्रम पुरुष्कार विजेता	38 वर्ष

नोट– 1. **सभी वर्गो में उच्चतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**

2. अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी **इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।** अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।